

20.06.2024:-पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वाद पत्र डिकी हो गया। प्रार्थी मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिकी होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*Dungri*

कतमर  
ए. टी. ए. कार्यालय  
दुम्बाराज

